संख्याः113 भू0क्य/18(2)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 03 मार्च, 2008

विषयः- डी0एस0 होटल एण्ड रिजोर्ट (इन्डिया) लि0 को तहसील रामनगर के ग्राम ढिकुली में होटल एवं रिसोर्ट की स्थापना हेतु कुल 2.392 है0 भूमि क्य करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4009/12-ज्येड0सी0/2006 दिनांक 25-11-2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय डी0एस0 होटल एण्ड रिजोर्ट (इन्डिया) लि0 को होटल एवं रिसोर्ट की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत तहसील रामनगर के ग्राम ढिकुली में कुल 2.392 है0 भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

.....(2)

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा ऐसे प्रत्येक प्रकरण को आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी स्वतः स्पष्ट आदेश से निस्तारित कर ही भूमि अन्तरण के आदेश करेंगे।

5- चूंकि होटल उद्योग प्राथमिकता क्षेत्र का उद्योग है अतः इस योजना हेतु विशेष पैकेज का लाभ नियमानुसार अनुमन्य होगा।

6- भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन करा लिया जायेगा जिससे कोई अन्य भूमि या सरकारी भूमि के अतिक्रमण की सम्भावना न हो।

7- अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त भूमि का अंतरण या विक्रय अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसा होने पर सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

8- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

9- यह स्वीकृति 180 दिनों के लिये वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 02 वर्ष के भीतर योजना का निर्माण कार्य पूरा कराना होगा।

10- प्रस्तावित होटल/रिजोर्ट में प्रदेश के स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे

....(3)

शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3- सचिव, श्रम एव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
5- श्री अतुल जैन, डायरेक्टर, डी0एस0होटल्स एण्ड रिसोर्टस (इण्डिया) लि0 1711 एस0पी0मुखर्जी मार्ग, दिल्ली।
6- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।